न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 52/2020
(जीसीएमएस संख्या 2020/00202)

निर्णय दिनांकः– 19/01/26

1. रमेश पुत्र मनीराम जाति ब्रहामण निवासी महाजन तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. भागीरथ पुत्र छतूराम जाति ब्रहामण निवासी महाजन तहसील लूकरणकसर जिला बीकानेर।
2. छोटूसिंह पुत्र राधाकिशन जाति दरोगा निवासी महाजन तहसील लूकरणकसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितः
1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया। के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटान ने एक घोषणात्मक वाद इस अमर का पेश किया कि अपीलांटान के दादा स्व. सुरजाराम पुत्र गंगाराम को बारानी भूमि रोही महाजन के हाल खसरा नम्बर 974/296 तादादी 60 बीघा दस साला आवंटन पुराने खसरा नम्बर 782/86 तादादी 60 बीघा दिनांक 29–06–1968 को किया गया तथा ततसमय ही कब्जा दिया गया था। जिस पर अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त है। रिकॉर्ड गिरदावरी संख्या 2025 से 2028 तक विधिवत काश्त दर्ज है। दस साला आवंटन की गैर खातेदारी के आधार पर हक खातेदारी अर्जित हो चुके है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सरकार से जवाब लिया गया जिसकी प्रति अपीलांट/वादी को नही दी गई तथा जबाबुल जबाब का अवसर नही दिया गया और जवाब बंद कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का तथा अपीलांट के मकान बने हुए है। अपीलांट के 50 साल के कब्जा का अमल दरामद रिकॉर्ड में नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का निरन्तर 50 वर्षों से अधिक का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट भू माफिया किस्म के लोग है जो अपीलांट की उक्त कृषि भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाहते है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 09–06–2015 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30–09–2020 को वकील के मार्फत हुई। अपीलांट द्वारा दिनांक 01–10–2020 को नकल हेतु आवेदन किया तथा अपीलांट को दिनांक 12–10–2020 को नकल प्राप्त हुई। उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–06–2015 के विरूद्व अपील दिनांक 19–10–2020 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके जवाब को कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना है वहॉ मियाद के प्रश्न पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धार 88, 89, 92 क, 207 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। इस दावा में अपीलांट ने एडवर्स पजेशन के आधार पर सरकारी भूमि में खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर विस्तृत विवेचना करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश हुई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो का परीक्षण करते हुए सकारण व तार्किक विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है।

अपीलांट/वादी द्वारा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है। इस सुरत में वाद वादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दायर करने योग्य ही नही था। साथ ही अपीलांट सरकारी भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तो उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 02–03–2016 यथावत् बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार पूगल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

7. निर्णय आज दिनांक 19/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर